फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

बैंक ऑफ इण्डिया बनाम श्रीमती शिखा देवी व अन्य

प्रकरण संख्या : 1028/2022 (प्रा॰ पत्र धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
16.02.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में ध्धारा 13 (2) के नोटिस की ए.डी. /ट्रैकिंग रिपोट/नोटिस प्रकाशित अखबार की प्रति प्रस्तुत नही की गई है। अतः धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था वाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	